THE PIONEER PAGE 3

Study by LU prof throws light on disappearance of Saraswati river

PNS ■ LUCKNOW

A study carried out by a Lucknow University professor, in association with GSI, has thrown light for the first time on the disappearance of the Saraswati river. Prof AK Kulshrestha, who has carried out the study, said people are still searching for the Saraswati river in Punjab even as their study has shown that the river dried because its tributaries got diverted to Yamuna river due to the Himalayan area developing mountains.

"Vedic Saraswati river disappeared due to eastward reversal of Bata and Giri rivers because of uplifting, faulting and block movement across Himalayan frontal thrust. The two rivers were earlier flowing westward, along with Markanda river, and contributing to the Saraswati river system. After reversal of the channel, Bata and Giri rivers joined Yamuna river and discontinued water discharge to the Saraswati river system," he said.

"In the Nadi-Stuti Sukta of Rig Veda, all the rivers of northern India, starting from Ganga in the east to Kabul in the west, are serially described. The Vedic Saraswati river was placed between Yamuna and Sutlej, draining the buffer area between the two rivers, about 13,000 years ago. At present, Saraswati is originating from Adh (Adi) Badri, located in Ambala district of Haryana, close to the Siwalik foot hills. A lot of research work has been carried out ever since CF Oldham of Geological Survey of India (GSI) had reported a 'lost river' in Indian desert in 1874. However, not much attention has been paid to delineate the course of this river in the Himalayan area," he said.

"Dr GS Srivastava from GSI and I have attempted to trace the course of Vedic Saraswati river in the sub-Himalayan region of Himachal Pradesh. We studied topographical maps, geological maps and freely available satellite imageries for interpreting tectonic features and recognising palaeo channels of Giri river and course of Proto-Saraswati river. This helped in understanding and building up their chronological development and subsequent disruption in response to the neo-tectonic activity, resulting in uplifting, faulting and block movement across Himalayan frontal," he elaborated.

He said that the present study indicates that the Vedic Saraswati river was once flowing along the Bata-Markanda river course in Sirmaur district of Himachal Pradesh. Giri river was also contributing to this river through a palaeo channel, west of Garibnath Hill, near Paonta Sahib.

"Saraswati river continued flowing till the Mahabharata times. Evidence indicates that uplifting along Ganga-Indus water divide, around 5,000 years BP, created Bata-Markanda water divide, resulting in impounding and later spilling of Saraswati river through Adh Badri course. Further block movement associated with the Yamuna tear fault resulted in reversal of Bata river to join Yamuna in the east. In response to this mountain building activity, Giri also changed its course and joined Yamuna east of Garibnath Hill. Thus, the perennial source of the Vedic Saraswati river was lost and its headwaters started contributing to Yamuna," he explained.

AMAR UJALA MY CITY PAGE 5

लविवि ने जारी की संबद्धता के लिए नई समय सारिणी

एनओसी के लिए 15 अप्रैल तक करें आवेदन, 15 जून तक मिलेगी संबद्धता

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। कोरोना के चलते लखनऊ विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेज फिलहाल 10 अप्रैल तक बंद रहेंगे। ऐसे में लविवि प्रशासन ने नए महाविद्यालयों को संबद्धता देने और संचालित महाविद्यालयों में स्नातक व परास्नातक के नए विषयों की मान्यता देने के लिए नई समय सारिणी जारी की है। प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और लविवि द्वारा ऑनलाइन संबद्धता देने की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है।

नए पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए एनओसी के लिए 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल नए बीएड महाविद्यालयों को संबद्धता नहीं दी जाएगी। एनओसी के आवेदन को लेकर राजस्व विभाग द्वारा भूमि संबंधित अभिलेखों का सत्यापन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। 10 मई तक ऑनलाइन एनओसी जारी की जाएगी। वहीं, लविवि प्रशासन की ओर से 20 मई तक निरीक्षण मंडल का गठन किया जाएगा, जो भवन आदि संसाधनों का निरीक्षण कर पांच जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी और 15 जून तक संबद्धता देने की कार्यवाही पूरी कर दी जाएगी। इसके बाद भी कॉलेज चाहें तो शासन में अपील कर सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। वहीं, अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई निर्धारित की गई है। विवि के कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह ने बताया कि महाविद्यालयों को संबद्धता देने और विषयों की मान्यता देने के लिए नई समय सारिणी को लविवि की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जिले में लविवि से संबद्ध 174 कॉलेज हैं जबकि हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और लखीमपुर खीरी के 350 कॉलेज भी लविवि से जुड़ गए हैं।

NBT PAGE 4

पति-पत्नी का विवाद सुलझाने की रणनीति तैयार करेंगे लविवि के शिक्षक

■ एनबीटी, लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय को यूपी शासन ने दो प्रोजेक्ट दिए हैं। पहले प्रोजेक्ट में वैवाहिक मामलों के निपटारे में न्यायालय के अलावा अन्य उपायों की तलाश करना है। दूसरे में, बेटियों के उनके पिता की संपत्ति में अधिकारों से रूबरू करवाना है। ये प्रोजेक्ट लविवि के विधि विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. राकेश कुमार सिंह को दिए गए हैं। पहले प्रोजेक्ट के लिए 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना के लिए तीन लाख की धनराशि को मंजूरी दी गई है। वहीं, दूसरे प्रोजेक्ट में शासन ने 'रिसर्च और डिवेलपमेंट' योजना के तहत ढाई लाख की धनराशि स्वीकृत की है।

■ लविवि के विधि संकाय के प्रो. राकेश कुमार को जिम्मेदारी दी
■ बेटियों को उनके पिता की संपत्ति में हक से रूबरू भी करवाएंगे

प्रो. राकेश कुमार सिंह ने बताया कि लखनऊ समेत यूपी में जितने भी फैमिली कोर्ट हैं, उनकी रूट डी करेंगे। साथ ही पति-पत्नी के बीच विवाद के मामलों की वजह, मामलों में दोनों तरफ के लोगों के विचार, फैमिली कोर्ट में फैसला देने में देरी का कारण जानने के बाद रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। प्रो. राकेश के अनुसार विवाहित और अविवाहित बेटियों को उनके पिता की संपत्ति में कितना अधिकार है? इसके लिए सबसे पहले वक्फ़ा का तालाब स्थित 12 ब्लॉक में जागरूकता अभियान चलाएंगे। पिता की मृत्यु के बाद भूमि अधिनियम के तहत अविवाहित लड़की को जायदाद में ज्यादा हक है और विवाहित को कम। ऐसे में ये भी जानेंगे कि क्या लड़कियां शादी करने में देर भी कर रही हैं? फिलहाल वक्फ़ा का तालाब में दस ब्लॉक बनाकर वहां स्टडी करेंगे कि महिलाओं को उनके हक के बारे में कितना पता है।

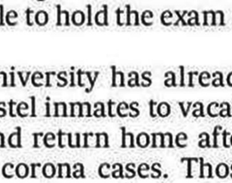

शिक्षक और शोधार्थी करेंगे दौरा

दौरे पर जाने वाली टीम में लविवि के विधि विभाग के शिक्षक और शोधार्थियों शामिल होंगे। जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक और अन्य तरीकों का भी सहारा लिया जाएगा।

JAGRAN CITY PAGE I

वैवाहिक मामलों पर रिपोर्ट देगा लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में अब वैवाहिक मामलों के निपटारे में न्यायालय के अतिरिक्त उपायों की तलाश के साथ-साथ बेटियों का कृषि भूमि में अधिकारों की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए शासन ने लविवि को सेंटर आफ एक्सीलेंस के तहत दो प्रोजेक्ट स्वीकृत किए हैं। प्रधान अन्वेषक प्रो. राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में विश्वविद्यालय वैवाहिक मामलों को कोर्ट में निपटाने के अलावा अतिरिक्त विकल्पों पर विचार कर शासन को रिपोर्ट देगा। (जास)

VOICE OF LUCKNOW PAGE 5

लविवि में होगी वैवाहिक मामलों की मध्यस्थता

विधि विभाग को मिला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, लविवि को मिले दो प्रोजेक्ट

वरिष्ठ संवाददाता (vol)

लखनऊ। लविवि के विधि संकाय को शासन ने दो प्रोजेक्ट स्वीकृत किए है। एक प्रोजेक्ट के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए तीन लाख की धनराशि स्वीकृत की है। इस योजना के तहत विवि के चयनित विभागों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाता है ताकि वह विभाग अपने उत्कृष्टतम रूप से विकसित होकर कार्य कर सके। इसी के तहत विभाग वैवाहिक मामलों को कोर्ट में निपटाने के अलावा अतिरिक्त विकल्पों पर विचार कर शासन को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट भेजेगा।

इस योजना के प्रधान अन्वेषक पूर्व संकायाध्यक्ष प्रो. राकेश कुमार सिंह ने कहा कि सामान्य न्यायालयों द्वारा वैवाहिक विवादों में मामलों के पक्षकारों को हो रही पीड़ा और ऐसे मामलों में बढ़ोतरी के कारण न्यायालयों पर पड़ रहा है और विवाह-विच्छेद के ज्यादातर मामलों के निपटारे में सालों लग रहे है। जबकि वैवाहिक मामलों का निपटारा सामान्य कोर्ट के अतिरिक्त जगह पर किया जाना चाहिए जिसके तहत मध्यस्थता, काउंसलिंग, सुलह-समझौता, पंचाटों का गठन का सहारा लिया जा सकता है। वैवाहिक पक्षकारों को कोर्ट का सामना करने की नौबत ही न आये। इसके लिए ही इसके अतिरिक्त विकल्पों पर शोध करने के लिए विभाग को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है।

बेटियों के कृषि भूमि के उसके अधिकारों की करेगा समीक्षा : दूसरे प्रोजेक्ट भी शासन द्वारा रिसर्च एवं डेवलपमेंट योजना के तहत ढाई लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है। इस योजना के तहत शिक्षकों को विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट शोध के लिए धनराशि स्वीकृत की जाती है। इसी के तहत यह प्रोजेक्ट भी प्रो.राकेश कुमार सिंह को दिया गया है। इसके तहत प्रोग्राकेश कुमार सिंह को प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत बेटियों की कृषि सम्पत्ति एवं सहदायिक सम्पत्ति में उत्तराधिकार की स्थिति का लखनऊ के बक्शी का तालाब तहसील के संबंध में एक विधिक मूल्यांकन के शोध कार्य के लिए दिया गया है। इसके तहत कृषि सम्पत्ति में पुत्रियों के मालिकाना हक के बारे में समीक्षा की जायेगी। प्रोण सिंह ने बताया कि वर्तमान में भूमि कानून अविवाहित पुत्रियों को विवाहित पुत्रियों के ऊपर वरीयता देता है, अर्थात भूमि.सम्पत्ति में पिता की मृत्यु के बाद सम्पत्ति उसकी अविवाहित पुत्री में जायेगी न कि विवाहित पुत्रियों में।

हिन्दू विधि और अन्य व्यक्तिगत कानूनों में विवाह को एक पुनित कार्य माना गया है और इसे अनिवार्य बनाया गया है। दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की विधि देखने को नहीं मिलती हैए जिसमें विवाह करने पर स्त्री को उत्तराधिकार से वंचित करने का प्रावधान है जबकि अविवाहिता की स्थिति में उसे हक मिलता हैए अर्थात यदि पुत्री को भूमि विधि में अधिकार चाहिए तो उसे विवाह से वंचित होना पड़ेगाए उसे विवाह या भूमि में एक को चुनना होगा। इससे बड़ी विड़म्बना एक स्त्री के लिए क्या हो सकती हैए जैसे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिताए 2006 के तहत उत्तराधिकार विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी पुत्रीए जिसने अविवाहित होने के कारण अपने पिता की कृषि सम्पत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त की हैए विवाह होने पर अपनी इस कृषि सम्पत्ति में अपना अधिकार खो देती है। ऐसी ही विधियों व उसके पड़ने वालों प्रभावों की समीक्षा इस प्रोजेक्ट के तहत की जायेगी।

लविवि में भी सुलझेंगे वैवाहिक विवाद

विधि विभाग को मिला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, विश्वविद्यालय को मिले दो प्रोजेक्ट

अमृत विचार, लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय को शासन ने दो प्रोजेक्ट स्वीकृत किए है। एक प्रोजेक्ट के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए तीन लाख की धनराशि स्वीकृत की है। इस योजना के तहत विवि के चयनित विभागों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाता है ताकि वह विभाग अपने उत्कृष्टतम रूप से विकसित होकर कार्य कर सके। इसी के तहत विभाग वैवाहिक मामलों को कोर्ट में निपटाने के अलावा अतिरिक्त विकल्पों पर विचार कर शासन को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट भेजेगा।

इस योजना के प्रधान अन्वेषक पूर्व संकायाध्यक्ष प्रो. राकेश कुमार सिंह ने कहा कि सामान्य न्यायालयों द्वारा वैवाहिक विवादों में मामलों के पक्षकारों को हो रही पीड़ा और ऐसे मामलों में बढ़ोतरी के कारण इसका अतिरिक्त बोझ न्यायालयों पर पड़ रहा है और विवाह-विच्छेद के ज्यादातर मामलों के निपटारे में सालों लग रहे है। जबकि वैवाहिक मामलों का निपटारा सामान्य कोर्ट के अतिरिक्त जगह पर किया जाना चाहिए, जिसके तहत मध्यस्थता, काउंसलिंग, सुलह-समझौता, पंचाटों का गठन का सहारा लिया जा सकता है। वैवाहिक पक्षकारों को कोर्ट का सामना करने की नौबत ही न आये। इसके लिए ही इसके अतिरिक्त विकल्पों पर शोध करने के लिए विभाग को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है।

कृषि सम्पत्ति में पुत्रियों के मालिकाना हक के बारे में होगी समीक्षा

दूसरे प्रोजेक्ट में भी शासन द्वारा रिसर्च एवं डेवलपमेंट योजना के तहत ढाई लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है। इस योजना के तहत शिक्षकों को विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट शोध के लिए धनराशि स्वीकृत की जाती है। इसी के तहत यह प्रोजेक्ट भी प्रो . राकेश कुमार सिंह को दिया गया है। इसके तहत प्रो .राकेश कुमार सिंह को प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत बेटियों की कृषि सम्पत्ति एवं सहदायिक सम्पत्ति में उत्तराधिकार की स्थिति का लखनऊ के बक्शी का तालाब तहसील के संबंध में एक विधिक मूल्यांकन के शोध कार्य के लिए दिया गया है। इसके तहत कृषि सम्पत्ति में पुत्रियों के मालिकाना हक के बारे में समीक्षा की जायेगी। प्रो . सिंह ने बताया कि वर्तमान में भूमि कानून अविवाहित पुत्रियों को विवाहित पुत्रियों के ऊपर वरीयता देता है, अर्थात भूमि-सम्पत्ति में पिता की मृत्यु के बाद सम्पत्ति उसकी अविवाहित पुत्री में जायेगी न कि विवाहित पुत्रियों में। दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की विधि देखने को नहीं मिलती है, जिसमें विवाह करने पर स्त्री को उत्तराधिकार से वंचित करने का प्रावधान है जबकि अविवाहिता की स्थिति में उसे हक मिलता है, अर्थात यदि पुत्री को भूमि विधि में अधिकार चाहिए तो उसे विवाह से वंचित होना पड़ेगा, उसे विवाह या भूमि में एक को चुनना होगा। इससे बड़ी विड़म्बना एक स्त्री के लिए क्या हो सकती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत उत्तराधिकार विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी पुत्री, जिसने अविवाहित होने के कारण पिता की कृषि सम्पत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त की है, विवाह होने पर अपनी इस कृषि सम्पत्ति में अपना अधिकार खो देती है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण व लविवि के प्रोफेसर ने किया शोध

हिमालय क्षेत्र में सरस्वती नदी की खोज

अमृत विचार, लखनऊ

पुरातन समय में वैदिक सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर स्थित बाता व मरकंडा नदियों की घाटी से प्रवाहित होती थी। यह शोध भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डा. जीएस श्रीवास्तव और लविवि के डा. एके कुलश्रेष्ठ ने किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लघु हिमालयी क्षेत्र में वेदिक सरस्वती नदी के प्रवाहक्रम को रेखांकित करने का प्रयास किया है।

इस शोधकार्य से यह पता चला है कि गिरी नदी भी लेखकों द्वारा खोजी गयी पांवटा साहब के समीप स्थित गरीबनाथ पहाड़ी के पश्चिम में अवस्थित पुराघाटी द्वारा वेदिक सरस्वती नदी में मिलती थी। यह क्रम महाभारत काल (वर्तमान से करीब पांच हजार वर्ष पूर्व) तक चला। क्षेत्र में मिले साक्ष्य दर्शाते हैं कि इसके बाद गंगा-सिंधु घाटियों के बीच के क्षेत्र में उठान शुरू हुआ, जिसके प्रभाव से बाता व मरकंडा नदियों की घाटी (पूर्ववर्ती सरस्वती) के बीच में भी उठान शुरू हुआ। फलस्वरूप, सरस्वती घाटी में अवरोध उत्पन्न होकर जलभराव हुआ और कालांतर में अध बद्री के रास्ते जल प्रवाह होने लगा। बाद में, यमुना भ्रंश के प्रभाव से बाता नदी का प्रवाह उलट गया और वह पश्चिम के बजाय पूर्व की ओर बहती हुयी यमुना नदी में मिल गयी। इसी पर्वतीय संरचना के प्रभाव से गिरी नदी का प्रवाह भी बदल गया। अब यह नदी गरीबनाथ पहाड़ी के पूर्व से बहती हुयी यमुना नदी में मिलने लगी। इस तरह वेदिक सरस्वती नदी का ऊपरी जल स्रोत समाप्त हो गया और वह सारा जल यमुना नदी में जाने लगा। हमारे पूर्वज संभवतः यह बात जानते थे, तभी यमुना नदी के बायें किनारे पर स्थित प्रयाग राज किले में एक कुएं के जल को सरस्वती नदी का जल मान कर पूजा करते थे। यह परिपाटी अभी भी विद्यमान है। यही कारण है कि प्रयाग को गंगा, यमुना व विलुप्त सरस्वती नदियों का पवित्र संगम माना जाता है और उसे त्रिवेणी भी कहा जाता है।

हिमालय क्षेत्र में वैदिक सरस्वती नदी की खोज

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण व लविवि के प्रोफेसर ने किया शोध

वरिष्ठ संवाददाता (vol)

लखनऊ। पुरातन समय में वेदिक सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में स्थित बाता व मरकंडा नदियों की घाटी से प्रवाहित होती थी।

यह शोध भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डा. जीएस श्रीवास्तव और लविवि के डा. एके कुलश्रेष्ठ ने किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लघु हिमालयी क्षेत्र में वेदिक सरस्वती नदी के प्रवाहक्रम को रेखांकित करने का प्रयास किया है। इस शोधकार्य से यह पता चला है कि गिरी नदी भी लेखकों द्वारा खोजी गयी पांवटा साहब के समीप स्थित गरीबनाथ पहाड़ी के पश्चिम में अवस्थित पुराघाटी द्वारा वेदिक सरस्वती नदी में मिलती थी। यह क्रम महाभारत काल (वर्तमान से करीब पांच हजार वर्ष पूर्व) तक चला। क्षेत्र में मिले साक्ष्य दर्शाते हैं कि इसके बाद गंगा.सिंधु घाटियों के बीच के क्षेत्र में उठान शुरू हुआ जिसके प्रभाव से बाता व मरकंडा नदियों की घाटी (पूर्ववर्ती सरस्वती) के बीच में भी उठान शुरू हुआ। फलस्वरूपए सरस्वती घाटी में अवरोध उत्पन्न होकर जलभराव हुआ और कालांतर में अध बद्री के रास्ते जल प्रवाह होने लगा। बाद में यमुना भ्रंश के प्रभाव से बाता नदी का प्रवाह उलट गया और वह पश्चिम के बजाय पूर्व की ओर बहती हुयी यमुना नदी में मिल गयी। इसी पर्वतीय संरचना के प्रभाव से गिरी नदी का प्रवाह भी बदल गया। अब यह नदी गरीबनाथ पहाड़ी के पूर्व से बहती हुयी यमुना नदी में मिलने लगी। इस तरह वेदिक सरस्वती नदी का ऊपरी जल स्रोत समाप्त हो गया और वह सारा जल यमुना नदी में जाने लगा। हमारे पूर्वज संभवतः यह बात जानते थे, तभी यमुना नदी के बायें किनारे पर स्थित प्रयाग राज किले में एक कुएं के जल को सरस्वती नदी का जल मान कर पूजा करते थे। यह परिपाटी अभी भी विद्यमान है। यही कारण है कि प्रयाग को गंगा, यमुना व विलुप्त सरस्वती नदियों का पवित्र संगम माना जाता है और उसे त्रिवेणी भी कहा जाता है।

HINDUSTAN TIMES PAGE 4

NIELIT exam on Apr 11 amid corona spurt: LU in a fix

LUCKNOW : Proposed National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT) exam scheduled at Lucknow University and colleges on April 11 is in doldrums after two Lucknow University professors have died and 20 teaching and non-teaching staff members have tested Covid positive, with several confined to home quarantine.

Amid the Covid -19 scare that has gripped Lucknow University campus and many affiliated degree colleges in recent times, about 30,000 students was scheduled to appear for the NIELIT exam. Both candidates as well Lucknow University officials are worried as to how to implement Covid -19 protocol.

LU vice chancellor, Professor Alok Kumar Rai said, "On our request district magistrate Abhishek Prakash ordered to close down Lucknow University campus till April 10 as a number of teachers, assistant registrar and deputy registrar tested Covid positive recently. We have closed physical classes."

RB Singh of physics department, LU, who is taking care of the exam on the campus said, "The university has been sealed and situation is alarming. I have written a mail to officials highlighting the fact that campus has become hotspot and it is next to impossible to hold the exam at LU.

The university has already asked hostel inmates to vacate rooms and return home after spurt in corona cases. Those who went to home during Holi festival were asked to not return, said chief provost Prof Nalini Pandey.

Another Covid death

Padma Shri Prof BK Shukla, dean, faculty of Arts, succumbed to Covid -19 at Dr Ram Manohar Lohia hospital on Tuesday morning. He was 59.

HTC